GRPI-211-6L-11-94		V-190/CR.J.(e)
SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 in the court of	OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE Class	E, 1898
Case No255/2017	Complaint or report made on	
Name and address of the Complainant	शा0पु0गोहद चौराहा बनाम पवन उर्फ आकाश	सेंह
Name, parentage, ca	aste and address of accused	
1. पवन उर्फ आकाशसिंह तौमर पुत्र पप्पूरि चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.	नंह तौमर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम घूम व	ग्र पुरा थाना गोहद
The offence complaint of its alleged co		
आपने दिनांक 28 / 10 / 17 के 16:20 ब	जे से 16:40 बजे के मध्य स्थान आरोपी	के मकान के सामने
चबूतरे पर ग्राम घूम का पुरा गोहद चौराहा जिल	।। भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र	के 20 क्वार्टर देशी
प्लेन मदिरा को अपने आधिपत्य में रखा जो म	•	
अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।		
STINE STATE		

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The plea of the accused and his examiination (if any)

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 06.11.2017 को घोषित)

- 1. आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध के आरोप हैं।
- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- 3. आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध में सिद्धदोष टहराया जाता है एवं आरोपी / आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1800 / —रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जब्तशुदा 20 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 06.11.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

AN SUNTAINED